न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना।

पीठासीन अधिकारी : **मनोरमा मीणा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 147/2026
सी एन आर नम्बर RJDK010012782026

दिनेश जाजोट पुत्र बक्शाराम जाजोट उम्र 40 वर्ष, निवासी हरिजनों का बास, कुचेटिया, तहसील–छोटी खाटू, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

––प्रार्थी/अभियुक्त

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की, जाति अंकित नहीं की गई है।)

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, डीडवाना।

–––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 43/2026, पुलिस थाना खुनखुना, अपराध अन्तर्गत धारा 111 (2)(B), 111 (3), 111 (4), 111 (6), 317 (2), 317 (5), 318 (4), 61 (2) (B) बी एन एस एवं धारा 66 डी आई टी एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुनील मिश्रा– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से
2. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

–आदेश–

दिनांक: 01.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश जाजोट की ओर से हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. में पेश हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी पेश हुई।

2. केस डायरी के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2026 को रात्रि 10:35 बजे थानाधिकारी गरिमा चौधरी आर.पी.एस. मय जाप्ता एवं अनुसंधान सामग्री के साथ लोकेल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना होकर कस्बा खुनखुना पहुँची, जहाँ मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र रूपाराम निवासी कुचेटिया के सरहद बडाबरा स्थित खेत में बनी झोपड़ी में अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एवं गेमिंग का संचालन किया जा रहा है। उक्त सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने पर धारा 5 आर.पी.जी.ओ. के अंतर्गत तलाशी वारंट प्राप्त कर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुँचा। झोपड़ी के अंदर अभियुक्त रमेश बिरड़ा पुत्र गुमानाराम जाट निवासी कुचेटिया, अभियुक्त मनोज ढाका पुत्र बजरंगलाल जाट निवासी कुचेटिया तथा अभियुक्त गणेश खोड़ पुत्र भंवरलाल जाट निवासी कुचेटिया बैठे मिले, जिनके सामने डायरी, लेपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड एवं चैकबुक आदि रखे हुए थे तथा एक लेपटॉप में राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण चल रहा था। स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं होने पर पुलिस जाप्ता के सदस्यों को मौतबीर नियुक्त कर झोपड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त रमेश बिरड़ा, मनोज ढाका एवं गणेश खोड़ के कब्जे से कुल 15 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड, 2 लेपटॉप मय चार्जर, 07 बैंक पासबुक, 02 चैकबुक, 04 सिम कार्ड, 03 मोबाइल चार्जर, एक लाइट बोर्ड तथा हिसाब–किताब की एक डायरी बरामद हुई। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि वे टेलीग्राम लिंक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगवाने, रुपयों का डिपोजिट एवं विड्रोल करने तथा ऑनलाइन गेमिंग का कार्य करते हैं तथा इस कार्य में उन्हें कमीशन प्राप्त होता है। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र रूपाराम जाट निवासी कुचेटिया तथा दिनेश वाल्मीकि निवासी कुचेटिया उन्हें मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं तथा वे पिछले 10–15 दिनों से उक्त झोपड़ी में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी का कार्य कर रहे हैं। अभियुक्त रमेश बिरड़ा, मनोज ढाका एवं

गणेश खोड़ के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, लेपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करने पर उनमें "Magic Win जीत का जादू" नामक साइट लॉगिन पाई गई तथा विभिन्न खातों में कैश डिपोजिट एवं विड्रोल का विवरण प्रदर्शित होना पाया गया। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि वे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी करवाते थे तथा विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों एवं एटीएम कार्डों का उपयोग कर ऑनलाइन रुपयों का लेन–देन करते थे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। अभियुक्तगण संगठित गिरोह बनाकर भोले–भाले व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर साइबर ठगी एवं ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे। अभियुक्तगण का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(4), 111(6), 317(2), 317(5), 318(4), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध पाए जाने पर अभियुक्त रमेश बिरड़ा, मनोज ढाका एवं गणेश खोड़ को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से बरामद समस्त सामग्री एवं मोटरसाइकिल एच.एफ. डीलक्स नम्बर आरजे 21 ईएस 2927 को वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात फर्द जब्ती एवं फर्द गिरफ्तारी तैयार कर थाना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। उक्त फर्द खाना तलाशी एवं जब्ती, बरामदगी पर एफ आई आर नम्बर 43/2026 धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(4), 111(6), 317(2), 317(5), 318(4), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस जमानत आवेदन सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए न्यायालय से यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशवश इस प्रकरण में फंसाया जा रहा है, जबकि वह निर्दोष है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो प्रार्थी/अभियुक्त की सामाजिक छवि धूमिल होगी तथा उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है, जहां पर उसकी चल व अचल सम्पति होने से उसके फरार होने का कतई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तैयार है। यह भी निवेदन किया है कि प्रार्थी की अपराध में कोई संलिप्तता नहीं रही है । इस अभियुक्त को सहअभियुक्त द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया है । सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । अंत में प्रार्थी/अभियुक्त के निर्दोष होने से उसकी अग्रिम जमानत लिये जाने का निवेदन किया।

4. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त/प्रार्थी प्रकरण का सहअभियुक्त है। पुलिस द्वारा धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(4), 111(6), 317(2), 317(5), 318(4), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आरोप प्रमाणित माने गए हैं। सहअभियुक्त जगाराम का अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को खारिज किया गया था । अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में एफ आई आर संख्या 43/2026 पुलिस थाना, खुनखुना में धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(4), 111(6), 317(2), 317(5), 318(4), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दर्ज हुई है । अब तक के अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश जाजोट के विरुद्ध धारा 111(2)(बी), 111(3), 111(4), 111(6), 317(2), 317(5), 318(4), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अपराध प्रमाणित माना है । प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश जाजोट प्रकरण में सहअभियुक्त है। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त/प्रार्थी दिनेश जाजोट से अनुसंधान शेष होना अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में उल्लेखित किया है । धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत जमानत लेने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रथमदृष्टया यह तथ्य प्रकट करे कि उसे झूठा फंसाया

गया हो। केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री से हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की प्रथमदृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। हस्तगत मामले में उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की निम्नलिखित न्यायिक नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

> In **Sandeep Vs state of Rajasthan, 2008(1) Cr.L.R. 381**, Hon'ble Rajasthan High Court has held that, "Power exercisable u/s . 438 Cr. P.C. is extraordinary in character and the Same is to be exercised only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated."

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच की न्यायिक नजीर **Jugal Vs. State of Rajasthan, S.B. Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 dtd. 25.11.2020** की अनुपालना में प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश जाजोट का आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उसके विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा निम्नलिखित प्रकरण दर्ज होना प्रकट होते हैं–

क्रमांक	एफ आई आर मय पी एस	धारा	नतीजा
01	214/2023	6/28 आयुध अधिनियम	निर्णय दिनांक 17.03.2025 डिस्चार्ज

7. अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश जाजोट पुत्र बक्शाराम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की निःशुल्क प्रति अभियुक्त/प्रार्थी को प्रदान की जावे ।

(मनोरमा मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना

9. आदेश आज दिनांक **01.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोरमा मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना